



2026:AHC-LKO:20111

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ
आपराधिक पुनरीक्षण संख्या-670 वर्ष 2025

पिता के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता एक्स मुकदमा अपराध संख्या 208/2025

.....पुनरीक्षणकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के ज़रिए एवं एक अन्य

.....विपक्षी(ओं)

पुनरीक्षणकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	राम आसरेय वर्मा
विपक्षी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 13

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान एजीए को सुना। और अभिलेख पर रखी सामग्री का अवलोकन किया।
2. यह आपराधिक पुनरीक्षण किशोर न्याय (बालको की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में "2015 का अधिनियम") की धारा 102 के तहत विशेष न्यायाधीश किशोर न्यायालय, जिला-लखीमपुर खीरी द्वारा आपराधिक अपील संख्या 20/2025 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 01.05.2025 और किशोर न्याय बोर्ड, लखीमपुर खीरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2025 के खिलाफ दायर किया गया है।
3. वर्तमान जमानत पुनरीक्षण पर बल डालते हुए, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि कथित घटना की तारीख, यानी 24.05.2025 को, पुनरीक्षणकर्ता की आयु लगभग 16 वर्ष, 5 महीने और 3 दिन थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आगे कहा गया है कि पुनरीक्षणकर्ता जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह 30.05.2024 से न्यायिक हिरासत में है। इस दृष्टि से पुनरीक्षणकर्ता की कारावास की अवधि 20 माह से अधिक है। कारावास की अवधि के साथ-साथ 2015 के अधिनियम की धारा 12 की भावना को ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षणकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
5. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, और पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास कोई प्रत्यक्षदर्शी उपलब्ध नहीं है।
6. पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन, जिसमें पृष्ठ 40 से 45 तक अनुलग्नक संख्या 11 के रूप में संलग्न जिला परिवीक्षा अधिकारी (संक्षेप में "डीपीओ") की रिपोर्ट भी शामिल है, विशेष रूप से उसी का पृष्ठ 45, यह संकेत देगा कि अभियोजन केवल वर्तमान पुनरीक्षणकर्ता के इकबालिया बयान के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है, जो साक्ष्य में अस्वीकार्य है।
7. डीपीओ की रिपोर्ट के आधार पर, यह आगे कहा गया है कि, उक्त रिपोर्ट के अनुसार, पुनरीक्षणकर्ता और मृतक (पुनरीक्षणकर्ता की मौसी की बेटी) के बीच संबंध थे। हालाँकि, यह सही नहीं है।
8. डी.पी.ओ. की रिपोर्ट. यह भी इंगित करता है कि मृतक ने पुनरीक्षणकर्ता को सूचित किया कि हमारे रिश्ते के बारे में अब मेरे परिवार को पता चल गया है और उसके बाद दोनों सड़क के उस पार स्थित दोनों परिवारों के घर के पास स्थित एक खुली जगह 'नील घाट' पर गए और 'नील घाट' पर दोनों ने खुद को फांसी लगा ली, हालाँकि, पुनरीक्षणकर्ता बच गया। ये भी ग़लत है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. आगे कहा गया है कि, मृतक के शरीर की उचित जांच करने पर, संबंधित डॉक्टर को पांच चोटें मिलीं। चोटें इस प्रकार बताई गई हैं:-

"1. नीलगू निशान 15 सें.मी. X 3 सें.मी. गर्दन के बायीं ओर चेन के नीचे 6 सें.मी. और बाएं कान के नीचे 7 सें.मी. मौजूद है, जो चमड़े के नीचे के ऊतकों के नीचे के विच्छेदन पर मौजूद है, जिसमें इकोमोस्ड थायरॉयड कार्टिलेज पाया गया, ब्रोकेन और ट्राइकिहा में गहराई से जमाव पाया गया।

2. नीलगू निशान 10 सें.मी. X 4 सें.मी. कंधे के दाहिने हिस्से पर मौजूद।

3. नीलगू निशान 7 सें.मी. X 3 सें.मी. वर्तमान दाएँ कंधे पर।

4- नीलगू निशान 8 सें.मी. X 4 सें.मी. जननांग क्षेत्र के आसपास दाहिनी जांघ पर मौजूद है।

5- संक्रमण 6 सें.मी. X 4 सें.मी. जननांग क्षेत्र के आसपास बायीं जांघ पर मौजूद"

10. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण "एंटी-मॉर्टम स्ट्रेंगुलेशन" के परिणामस्वरूप "एस्फिक्सिया" है।

11. यह भी कहा गया है कि उपरोक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह ऑनर किलिंग का मामला है और पुनरीक्षणकर्ता निर्दोष है।

12. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें यह भी शामिल है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के पास अंतिम बार देखा गया कोई गवाह उपलब्ध नहीं है, साथ ही 2015 के

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिनियम की धारा 12 की भावना और कारावास की अवधि, पुनरीक्षणकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

13. आगे कहा गया है कि यदि वह जमानत पर छूट गया है, तो इस बात की कोई आशंका नहीं है कि जमानत पर रिहा होने के बाद वह ज्ञात और अज्ञात सट्टेबाज अपराधियों के संपर्क में आ सकता है या नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ सकता है।

14. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत पुनरीक्षण का विरोध किया है, हालांकि, वह पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की उपरोक्त दलीलों पर विवाद नहीं कर सके।

15. इस प्रकार कारावास की अवधि, शव-विच्छेदन आख्या और जिला परीक्षा अधिकारी की आख्या सहित मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जो पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ नहीं है और 2015 के अधिनियम की धारा 12 की भावना के साथ भी, मुझे पुनरीक्षण में बल लगता है। तदनुसार, पुनरीक्षण की **अनुमति** दी जाती है।

16. आपराधिक अपील संख्या 20/2025 में विशेष न्यायाधीश किशोर न्यायालय, जिला-लखीमपुर खीरी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 01.05.2025 और किशोर न्याय बोर्ड, लखीमपुर खीरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.03.2025 को रद्द किया जाता है।

17. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या के **किशोर 'एक्स'** को उसके पिता/प्राकृतिक अभिभावक द्वारा संबंधित न्यायालय/बोर्ड की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदारों के साथ एक निजी बंधपत्र निष्पादित करने और उसकी मां द्वारा हलफनामा प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह किशोर की उचित देखभाल करेगी, उसे किसी भी गैरकानूनी या आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या गैरकानूनी तत्वों की संगत में शामिल होने की अनुमति नहीं देगी, उसे सख्त नियंत्रण में रखेगी, साक्ष्यों के साथ प्रयास या

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

छेड़छाड़ नहीं करेगी या गवाहों को धमकी नहीं देगी, साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर किसी भी अनावश्यक स्थगन की मांग नहीं करेगी, व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी, ऐसा न करने पर किशोर को दी गई जमानत का आदेश रद्द किया जा सकता है।

18. आज से एक वर्ष की अवधि के लिए, किशोर को प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपने प्राकृतिक अभिभावक के साथ संबंधित जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा।

मार्च 19, 2026

प्रीति/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।